भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1315

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947, (शक)

औद्योगिक श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम

1315. श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलों और अन्य स्थानीय उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के शोषण और चीनी वेतन बोर्ड के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के मामलों से संबंधित विभाग द्वारा उचित निगरानी नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं /उठाए जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रमिकों का उनके नियोक्ताओं द्वारा शोषण किया जाता है और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं /उठाए जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, समुचित सरकार के रूप में, अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, समीक्षा और संशोधन करती हैं। चीनी मिलों में नियोजित कामगारों से संबंधित मामले, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

हाल ही में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाया गया है और उन्हें मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह संहिता न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगार में सार्वभौमिक रूप से अनुप्रयोज्य बनाती है।

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008, अन्य बातों के साथ-साथ, जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का प्रावधान करता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है।

इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" भी शुरू किया है। ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन", विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल, अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत करता है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को ई-श्रम के माध्यम से 13 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्राप्त करने और अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में समर्थ बनाता है; इन योजनाओं में पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), पीएमएवाई (शहरी और ग्रामीण), एनएसएपी-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) शामिल हैं।

*****